न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/04

प्रकरण संख्या 04/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

1. श्री गोटू पिता गोदा गायरी निवासी धारता, तहसील कानोड़, जिला उदयपुर।
2. श्री भगा पिता गोदा गायरी निवासी धारता, तहसील कानोड़, जिला उदयपुर।

.................प्राथीयां

बनाम

1. श्री भेरूलाल पिता शंकर रावत निवासी धारता (खेड़ा) तहसील कानोड, उदयपुर।
2. श्री उदयलाल पिता भूरा रावत निवासी धारता (खेड़ा) तहसील कानोड़, उदयपुर।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड़, जिला उदयपुर।

.............अप्रार्थीगण

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री लक्ष्मण गिरी गोस्वामी।
अधिवक्ता अप्रार्थी : श्री प्रकाश चन्द चौधरी।

निर्णय

दिनांक : **06.06.2022**

1. प्रार्थी श्री गोटू एवं भगा पिता गोदा गायरी निवासी धारता, तहसील कानोड़ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा धारता पटवार हल्का धारता, तहसील कानोड़ की आराजी संख्या 1486, 1487, 2321, 2322 किता 4 रकबा 1.2800 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण एवं उनके परिवार के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदार से अंकित है। उक्त भूमि में से आराजी संख्या 2321, 2322 उक्त प्रार्थना पत्र में वाद ग्रस्त भूमि है एवं आराजी संख्या 1486, 1487 पर कोई विवाद नहीं है। उक्त वाद ग्रस्त भूमि आराजी संख्या 2321, 2322 के प्रार्थीगण एवं उनका परिवारजन भूमि के एक मात्र खातेदार काश्तकार होकर राजस्व रेकर्ड में वर्णित अनुसार भूमि के स्वामी एवं आधिपत्यधारी है तथा उक्त भूमि राजस्व नक्शे में तरमीम है जिसका नक्शा [illegible] है।
2. उपरोक्त वर्णित भूमि के पड़ौस में विपक्षीगणों की भूमि [illegible] और प्रार्थी एवं [illegible] की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से [illegible] को लेकर विपक्षीगण विवाद करते है तथा प्रार्थी खातेदारी उपयोग उपभोग की उक्त भूमि में प्रार्थी द्वारा बनाई गई बाड़बन्दी को काटने की धमकिया देते हुए विपक्षीगण द्वारा मौके पर विवाद पैदा किया जा रहा है जिससे प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि की दिनांक 17.11.2021 को पत्थरगढी कराने के लिये विपक्षीगणों से कहा तो विपक्षीगणों से सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही कराने के लिये कहा जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने पर विवश होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:41:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

पड़ा है। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त वर्णित आराजी संख्या 2321, 2322 की भूमि की प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में पक्की पत्थरगढ़ी तहसीलदार के मार्फत कराई जावे एवं मौके पर पत्थर गढवाये जाने का आदेश फरमावे।

3. हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर किया तथा विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया जिसमें विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द चौधरी ने वकालत पत्र प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर लिया गया परन्तु 6 माह से भी ज्यादा समय हो जाने तक जवाब प्रस्तुत नही किया एवं पूर्व में भी काफी अवसर दिये जा चुके है इसलिये जवाब बन्द किया गया एवं एक पक्षीय बहस सूनी गई।

4. हमने पत्रावली का अध्ययन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया जिसमें मौजा धारता, पटवार हल्का धारता, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत सालेड़ा की जमाबन्दी सवंत 2078–81 के खाता संख्या 203 की आराजी संख्या 1486 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1487 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2321 रकबा 0.2400 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 2322 रकबा 0.6800 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण काली पुत्री गोदा हिस्सा 1/16, गोटु पुत्र गोदा हिस्सा 5/16, भग्गा पुत्र गोदा हिस्सा 5/16, ममता पुत्री कना हिस्सा 5/32 एवं माणीबाई पत्नि कना हिस्सा 5/32 जाति गायरी सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है जिसमें आराजी संख्या 2321 रकबा 0.2400 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 2322 रकबा 0.6800 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. अतः तहसीलदार कानोड़ को 1000 रूपयें पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिए जाते है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा धारता, पटवार हल्का धारता, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत सालेड़ा की जमाबन्दी सवंत 2078–81 के खाता संख्या 203 की आराजी संख्या 2321 रकबा 0.2400 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 2322 रकबा 0.6800 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.9200 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज है जिसकी पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जाने के आदेश दिये जाते है।

6. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमा[illegible]म्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:41:37 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
मीण्डर जिला–उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी मीण्डर
जिला उदयपुर (राज.)